

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक-20/3/17

विषय:- केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर परिषद, छपरा को राज्यांश के रूप में 308.772 लाख रू0 (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति।

स्वीकृत्यादेश सं0- 254 दिनांक- 20/3/17

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-114 दिनांक-01.03.16, आवंटनादेश सं0-115 दिनांक-01.03.16 द्वारा छपरा नगर परिषद को 343.08 लाख रू0 (तीन करोड़ तैंतालीस लाख आठ हजार रू0 मात्र) विपत्र कोड- P2215017890102 से आवंटित किया गया था। जिसके विरुद्ध नगर परिषद छपरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में मात्र 34.308 लाख रू0 (चौतीस लाख तीस हजार आठ सौ रू0 मात्र) की निकासी की गई तथा कतिपय कारणों से 308.772 लाख रू0 (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रू0 मात्र) की निकासी नहीं की जा सकी। उक्त अनिकासी राशि 308.772 लाख रू0 (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रू0 मात्र) का अनिकासी प्रमाण पत्र नगर परिषद, छपरा द्वारा उपलब्ध कराया गया है। योजना की कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश की अनुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त किया जाना आवश्यक है। उक्त के आलोक में राज्यांश की राशि 308.772 लाख रू0 (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. 308.772 लाख रू0 (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रू0 मात्र) की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो राशि आवश्यकतानुसार नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक-423 दिनांक-31.03.2016 एवं पत्रांक-5193 दिनांक-28.06.2016 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 IC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। ये सभी योजनाए नई है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. स्वीकृत राशि 308.772 लाख रू0 (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191- नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0318-शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT), विपत्र कोड -P2217011910318, PFMS कोड-9517, विषय शीर्ष-3105-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि 1500.00 लाख रू0 के अवशेष राशि 848.80 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।
6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक- 20-3-17

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016 255

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव।

दिनांक- 20-3-17

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016 255

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर स्मार्ट सिटी लि0/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-20/03/17

विषय:- केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर परिषद, छपरा को राज्यांश के रूप में 308.772 लाख रू० (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रू० मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-114 दिनांक-01.03.16, आवंटनादेश सं०-115 दिनांक-01.03.16 द्वारा छपरा नगर परिषद को 343.08 लाख रू० (तीन करोड़ तैंतालीस लाख आठ हजार रू० मात्र) विपत्र कोड-P2215017890102 से आवंटित किया गया था। जिसके विरुद्ध नगर परिषद छपरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में मात्र 34.308 लाख रू० (चौतीस लाख तीस हजार आठ सौ रू० मात्र) की निकासी की गई तथा कतिपय कारणों से 308.772 लाख रू० (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रू० मात्र) की निकासी नहीं की जा सकी। उक्त अनिकासी राशि 308.772 लाख रू० (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रू० मात्र) का अनिकासी प्रमाण पत्र नगर परिषद, छपरा द्वारा उपलब्ध कराया गया है। योजना की कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश की अनुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त किया जाना आवश्यक है। उक्त के आलोक में राज्यांश की राशि 308.772 लाख रू० (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रू० मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. 308.772 लाख रू० (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रू० मात्र) की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो राशि आवश्यकतानुसार नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक-423 दिनांक-31.03.2016 एवं पत्रांक-5193 दिनांक-28.06.2016 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया

जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। ये सभी योजनाएँ नई हैं, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. स्वीकृत राशि 308.772 लाख रु० (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रु० मात्र) माँग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191- नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0318-शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT), विपत्र कोड -P2217011910318, PFMS कोड-9517, विषय शीर्ष-3105-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि 1500.00 लाख रु० के अवशेष राशि 848.80 लाख रु० में से विकलनीय होगा।
6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ०-72 /टि० पर दिनांक-20.03.17 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०-71 /टि० पर दिनांक-20.3.17 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20.3.17

(जय प्रकाश मंडल),

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक-20.3.17

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016 *254*

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

दिनांक-20.3.17

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016 *254*

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आईटीओ प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी संबंधित नगर निकाय, बिहार/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

MS